कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक— 376 /1सी0 (वन) दिनांक 2/3/2019

सेवा में,

उपवन संरक्षक
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय— प्रस्ताव सं0 **FP/UK/ROAD/31469/2018,** कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.860 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः— आपका आनलाइन ई0डी0एस0 निांक 18.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के अनुपालन में कर्णप्रयाग—नौटी—पैठाणी से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण बिन्दुवार आख्या निम्नवत है—

बिन्दु सं0	प्रश्न	उत्तर
1	All documents are submittd in color photo copies.	उपवन संरक्षक केदारनाथ वन्जीव प्रभाग गोपेश्वर के पत्र सं0 4127/12—1 दिनांक 20.4.2018 द्वारा प्रस्ताव की मूल प्रति 1 नं0 एवं 2 नं0 कलर प्रतियॉं प्रेषित की जा चुकी है।
2	Wrong KML file is found uploaded in place of proposed road.	Part I के para C (ii) (b) में सही KML file अपलोड कर दी गयी है।
3	Justification for loacating the project in fores land is not c/s by DFO.	Justification for loacating the project in fores land का प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर से सत्यापन के उपरान्त Part I के para D (i) में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 1— Justification for loacating the project in fores land का प्रमाण पत्र मूल में।
4	Alternative examined is not c/s by DFO	Alternative examined का प्रपत्र प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर से सत्यापन के उपरान्त Part I में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 2— Alternative examined का प्रमाण पत्र मूल में।
5	Employment detail seems incorrect.	Employment detail संशोधित कर Part I में आनलाइन अंकित कर दिया गया है।
6	Forest land diverted is mentioned 0.134 ha in FRA certificate but proposal submitted for 0.860 H.a	FRA certificate 0.860 है0 का तैयार कर निर्धारित कॉलम में आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्न 3— जिलाधिकारी द्वारा निर्गत FRA certificate के प्रपत्र 2 नं0 (मूल में) एवं 2 सत्यापित प्रतियॉं।
7	Area mentioned in NPV calculation sheet is 0.84 ha which is incorrect.	NPV calculation sheet संशोधित कर Part I में आनलाइन अंकित कर दिया गया है। संलग्न 4— NPV calculation sheet मूल में।

8	As per muck disposal plan, naap land taken for muck disposal but not mentioned in component wise breakup.	मोटर मार्ग के ROW (Right of way) में पड़ने वाली भूमि का राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के पश्चात् दाखिल खारिज किया जाता है परन्तु मक–डिस्पोजल हेतु भूमि के उपयोग हेतु सिर्फ दबान की धनराशि काश्तकारों को दी जाती है। इसलिए मक डिस्पोजल की भूमि naap land (निजी भूमि) होने के कारण component wise breakup में दर्शाया नहीं गया है।
9	The Following documents to be submitted in original :- a- Undertaking to bear CA cost. b- Authority letter.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है। Authority letter की 3 सत्यापित प्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित है। संलग्न 5– Authority letter की 3 सत्यापित प्रतियॉ।
10	Area is mentioned ot fall in kedarnath wildlife Sanctuary. " State Govt. may submit the comments of CWLW and upload the same at designated place.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
11	Site inspection report to be filled by DFO is not submitted.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
12	Part II of the proposal to be filled by DFO is not submitted.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।
13	Plantation Scheme of 860 Plants is required to be submitted.	इस बिन्दु का उत्तर आपके स्तर से दिया जाना है।

संलग्न– उपराक्तानुसार

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)
2.3.2019

पत्रांक– /1 सी0 (वन) तद्दिनांक

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

JUSTIFICATION FOR FOREST LAND

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल भूमि 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के 22 कि0मी0 से प्रारम्भ होकर गैरोली ग्राम तक जाता हैं। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी वर्तमान में गांवं की महिलाए पानी लकडी, चारा आदि लाने दूर जाती है मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दें पाऐंगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के ओर नए अवसर मिलेंगें। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल, सब्जी, अनाज, आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे। साथ ही गाव विकास की ओर अग्रसर होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें।

समरेखण–1

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 22 से प्रारम्भ होकर गैरोली गॉव तक 3.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावति है। इस समरेखण पर क्षेत्रिय जनता की सहमति हैं तथा भू–गर्भ वेता द्वारा भी समरेखण को मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। इस समरेखण में 1 हेयरपिन बैण्ड पडते हैं तथा 64 वृक्ष प्रभावित होते हैं।

समरेखण–2

यह मोटर मार्ग कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग के कि0मी0 22 से प्रारम्भ होकर ग्राम गैरोली तक 3.00 कि0मी0 की लम्बाई में निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावति है। इस समरेखण से क्षेत्रिय जानता भी सहमत नहीं हैं । इस समरेखण में हेयरपिन बैण्ड कि सं0 3 है तथा 80 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

उपरोक्त दोनों समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं हैं। अतः मार्ग निर्माण हेतु संमरेखण न0–1 उपर्युक्त हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
अलकनंदा... पुर वन क्षेत्र गौचर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 34) से ग्राम गैरोली मोटर मार्ग का नवनिर्माण

Performa for comparison between identified alignments

SI No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography	Hilly Terrain	Hilly Terrain -
2	Length of road	3.00 K.M.	3.00 K.M.
3	Bridging requirement No	0	0
4	Geometric		
	(u) Gradients	1:20,1:22,1:24, Raise/Fall/Level	1:18, 1:20,1:40 Raise/Fall/Level
	(v) Curves H.p Bends	2	3
5	Existing Means of Communiction on account.mule path.jeep. Tracks etc.	Track	Track
6	Right of way, bringing out, construction on account of built up areas. Monuments and other structures.	R.O.W. 7.00 m Monuments-Nil	R.O.W. 7.00 m Monuments-Nil
7	Terrain &Soil Condition.		
	(a) Cliffs and gorges.(b) Drainage characteristics of the area including supceptibility to flooding.(c) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and discends.(d) Variations extants and types.	(a) No cliffs, 0 number Gorges, (b) drainage Characteristics good susceptibility to flood-Nil (c) Maximum height 1677.00 m Minimum Hight 1360.00m, Ascend/discend-02 nos. (d) variations- 3 nos.	(a) No cliffs. 01 number Gorges, 01 sliding zone (b) drainage Characteristics is not good susceptibility to flood- Nil (c) Maximum height 1677.00 m Minimum Hight1360 m. Ascend/discend-04 nos. (d) variation-4 nos.
8	Climate Condition: (1) Temperature Monthly max. & min, reading. (2) rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available. (3) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) (4) Wind direction and velocities. (5) Fog Condition. (6) Exposure to sun. (7) Unusual weather condition like cloud brust etc,	(1) Maxi+32$^{0}{}_{c}$,Mini 8$^{0}{}_{c}$ (2) 700 mm (02 month) 400 mm (10 month) (3) Snowfall-yes (4) East to west (5) Fog condition- nil (6) Sunny area (7) Nil	(1) Maxi+32$^{0}{}_{c}$,Mini 8$^{0}{}_{c}$ (2) 700 mm (02 month) 400 mm (10 month) (3) Snowfall-yes (4) East to west (5) Fog condition- nil (6) Sunny area (7) Nil
9	Facilities resourse (1)Landing ground. (2)Dropping Zone. (3)Food stuffs. (4)Labour local availability and need for import. (5) Construction material Timber. Bamboo, sand. stone. shingle etc. extent of their	(1)Nil (2) Nil **(3)** available (4) available (5)Stone available sand will be carried from kaleshwar	(1)Nil (2) Nil **(3)** available (4) available (5)Stone available sand will be carried from kaleshwar

10	Value of land , agricultural land, irrigated land, bult up land, forest land etc.	Rs 20.00 lac/hectare.	Rs. 20.00 lac/hectare
11	Appoximate const. cost. (Including dumping yard)	Rs 42.46 lac	Rs.42.46 lac
12	Access point indicating possibility of induction fo equipment.	NIL	NIL
13	Period required for construction.	1.500 years	1.500 years
14	Strategic Consideration.	Nil	Nil
15	Important Villages, towns and markets centres to be connected.	Kanoth , Gairoli	kanoth, Gairoli
16	Recreational potential.	Nil	Nii
17	Economic Factors:		
	(1 Population served by the alignment.	520	20
	(2)Agricultures and economic potential of the area.	Fruits & Vegetables	Fruits & Vegetables
18	Other major development projects being taken up electric projects etc.	Nil	Nil
19	(1) Mics, such as camping sites	Nil	Nil
	(2) Law and other Problem	Nil	Nil
	(3) Royalty	Nil	Nil
	(4) Availability of contractors for collection and carriage of construction material	Good	Good
	(5) working period available for construction of work.	09 months in a year	09 months in a year
20	Total No. of trees to be removed	64	80
21	Average Density of forest cover.	75 nos per hect.	94 nos per hect.
22	Total No. of Merits	4 nos.	Nil
23	Total No. of Demerits	Nil	2 nos.

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. (01) Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

Junior . Engineer
Temp. DIV. PWD
Gauchar

Assistant Engineer
Temp. DIV. PWD
Gauchar

Executive Engineer
Temp. DIV. PWD
Gauchar

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No-Memo/2019 Dated-08.02.2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.860** hectares of forest land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of " **Karanparyag –Nauti-Paithani motor road to Gairoli Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction **Kanoth & Gairoli**, in Karanpryag tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.860 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Kanoth ' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date .08.2.19.at time.11 AM.at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.120 hect for the construction of " **Karanpryag –Nauti-Paithani Motor road to Gairoli Motor road**" and forest land 0.860 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 08.02.2019

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee
जिला अधिकारी
चमोली

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी– कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति– कर्णप्रयाग

उपखण्ड **कर्णप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0, अर्थात कुल 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, दिनांक 01-12-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक के० एस० गोस्वामी उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री के० एस० गोस्वामी उपजिलाधिकारी – कर्णप्रयाग ——— अध्यक्ष

2– श्री – [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी– केदारनाथ ——— सदस्य

3– श्री – [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी– कर्णप्रयाग ——— सदस्य / सचिव

4– श्री – [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र ——— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण** हेतु **0.860 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर**, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। **ग्राम कनोठ एवं गैरोली** के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण** हेतु **0.860 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद –चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल भूमि 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– कनोठ
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.840 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.860 हे0 वन पंचायत भूमि का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में लो०नि०वि० द्वारा दिनांक 9/9/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **कनोठ एवं गैरोली** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत कनोठ
हस्ताक्षर
दिनांक
वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0/
ग्राम प्रधान
वि0ख0–कर्णप्रयाग (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रपत्र – 2301

आज दिनांक 9 - 9 - 2015 को हमारे ग्राम कैनाल की खुली बैठक आहूत की गयी । जिसमें गॉव के सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, पुरुष व नौजवान उपस्थित थे । जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, गौचर द्वारा गैरोली ग्राम हेतु जो एप्रोच सड़क स्वीकृत है, उसमें हमारें गॉव की जो भी नाप भूमि एवं अन्य भूमि सड़क निर्माण में आयेगी उसे हम विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देनें पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं और विभाग को हर सम्भव सहयोग प्रदान करनें को तैयार हैं ।

क०सं०	गॉव के वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं/पुरुषों एवं नौजवानों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रविन्द्रसिंह S/o स्व० श्री बचनसिंह	[illegible]
2	" अवतारसिंह -do- " प्रतापसिंह	Avtar Singh
3	" लक्ष्मणसिंह -do- " बलवन्तसिंह	[illegible]
4	" सुरेन्द्रसिंह -do- " मोहनसिंह	[illegible]
5	" गब्बरसिंह -do- नेत्रसिंह	[illegible]
6	नरेन्द्र सिंह -do- प्रेम सिंह	[illegible]
7	भरत सिंह -n- कल्याण सिंह	[illegible]
8	कासी सिंह — चन्द्रसिंह	[illegible]
9	विनोद सिंह काशी सिंह	Vinod Singh
10	सरिता देवी W/o भुवन सिंह	सरिता देवी
11	माला देवी -do- सुदर्शन सिंह	माला देवी
12	गुड्डी देवी -do- दिनेश सिंह	गुड्डी देवी
13	ऊषा देवी -do- विक्रम सिंह	ऊषा देवी
14	मालमती देवी -do- राजेन्द्र सिंह	मालमती देवी
15	गिरीश सिंह S/o पुष्कर सिंह	[illegible]
16	बहादुर सिंह नेगी S/o स्व० श्री गजेसिंह	[illegible]
17	दिगम्बर सिंह S/o स्व० श्री श्याम सिंह	Digamber
18	खुशालसिंह " " "	खुशाल

दिनांक – 9/9/2015

हस्ताक्षर मुहर सहित ग्राम प्रधान [signature] 9/9/15

(ग्रा० प०३०)

			हस्ताक्षर
(19)	सुशीला देवी w/o प्रमोद सिंह	-	सुशीला देवी
(20)	कर्ण सिंह s/o स्व० जगत सिंह	-	कर्ण सिंह नेगी
(21)	हरेन्द्र सिंह s/o " जीत सिंह	-	[illegible]
(22)	नरेन्द्र सिंह s/o " रणजीत सिंह	-	न सिंह
(23)	शाकम्बरी देवी w/o हरेन्द्र सिंह	-	शाकम्बरी देवी
(24)	महेशी देवी w/o स्व० रघुनाथ सिंह	-	महेशी देवी
(25)	गुड्डी देवी w/o भगत सिंह	-	गुड्डी देवी
(26)	कमला देवी w/o लक्ष्मण सिंह	-	कमला देवी
(27)	प्रधान सिंह S/o त्रिलोक सिंह		[illegible]
(28)	गुड्डी देवी w/o अवतार सिंह	-	गुड्डी
(29)	कमला देवी w/o नरेन्द्र सिंह	-	कमला देवी
(30)	मीना देवी w/o महिपाल सिंह	-	MEENA
(31)	चकोरी देवी w/o जबर सिंह	=	चकोरी
(32)	माती देवी w/o विजय सिंह	·	माति
(33)	अरुणा देवी w/o गिरीश सिंह	—	अरुणा देवी
(34)	जगमोहन सिंह S/o श्री राजेन्द्र सिंह	-	[illegible] Singh
(35)	श्रीमती भारती देवी W/o श्री कुलदीप सिंह	-	भारती
(36)	श्री कर्ण सिंह नेगी S/o स्व० श्री जगत सिंह	-	कर्ण सिंह नेगी

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रपत्र – 2301

आज दिनांक 9/9/15 2015 को हमारे ग्राम गैरोली की खुली बैठक आहूत की गयी । जिसमें गॉव के सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, पुरुष व नौजवान उपस्थित थे । जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, गौचर द्वारा गैरोली ग्राम हेतु जो एप्रोच सड़क स्वीकृत है, उसमें हमारें गॉव की जो भी नाप भूमि एवं अन्य भूमि सड़क निर्माण में आयेगी उसे हम विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देनें पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं और विभाग को हर सम्भव सहयोग प्रदान करनें को तैयार हैं ।

क0सं0	गॉव के वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं/पुरुषों एवं नौजवानों के नाम	हस्ताक्षर
1	कमलेश्वर प्रसाद	[signature]
2	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
3	[illegible]	[signature]
4	[illegible] देवी	[signature]
5	लज्जावती देवी	[signature]
6	T. R. Gairola	[signature]
7	[illegible] प्रसाद	[signature]
8	[illegible]	[signature]
9	[illegible] देवी	[signature]
10	मनोज गैरोला	[signature]
11	[illegible] गैरोला	[signature]
12	[illegible]	[signature]
13	कान्ती प्रसाद गैरोला	[signature]
14	कमलेश्वर प्रसाद	[signature]
15	[illegible]	[signature]
16	राधाकृष्ण गैरोला	[signature]
17	राजेश्वर प्रसाद गैरोला	[signature]
18	सत्यराम गैरोला	[signature]

(19) धनानन्द गैरोला
(20) [illegible] प्रसाद गैरोला

दिनांक (21) [illegible] चन्द्र गैरोला

हस्ताक्षर मुहर सहित ग्राम प्रधान

(22) उरबी दत्त गैरोला — [signature]
(23) [illegible] गैरोला
श्रीमती रोशनी देवी → [signature]

(26) सन्तोषचन्द्र गैरोला

(27) जगदीश गैरोला

(28) कुशला नन्द गैरोला

(29) भगवती प्रसाद गैरोला

(30) राजेश गैरोला

(31) गिरीश गैरोला

(32) सतीश गैरोला

(33) श्री मनमोहन गैरोला

(34) योगेन्द्र प्रसाद गैरोला

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.84 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007 –एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नाँनुसार हैः–

1– इको–क्लास की श्रेणी........................ **V**

2– हरियाली का धनत्व.............................0.2

3–एन0पी0वी0 की दर 657000

4–आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.............0.86 है0

5–कुल देय एन0पी0वी0........................रू0 5,65,020.00

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

(11)

संख्या– 1903 / III(2)/15–05(प्रा0आ0)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2015

विषय:– वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 04 कार्यों की प्रथम चरण की [illegible] की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य [illegible] उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 04 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 34.00 किमी0 तथा लागत ₹ 325.43 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 325.43 लाख (₹ तीन करोड पच्चीस लाख तैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 04 कार्यों हेतु ₹ 0.40 लाख (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रुप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन [illegible] तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित [illegible] जो दरें शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

[illegible] किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 2047/[illegible] के निर्देशों का निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

छायाप्रति सत्यापित

AE

Assistant Engineer
Ty. Division PWD
Gauchar (Chamoli)

12

-2-

– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता होगा। वर्तमान [illegible] वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हेतु सुनिश्चित किया जायेगा।

दे स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हेतु सुनिश्चित किया जायेगा।
द में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

i) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो से कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

ii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते ए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

-800-अन्य व्यय-[illegible] वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान [illegible] आयोजनागत

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 896/XXVII(2)/2014 दि0:- 16 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्याः- 1903 /III(2)/15-05(प्रा0आ0)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी [illegible]
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एच0एस0 पांगती)
उप सचिव

सत्यापित प्रतिलिपि

A.E.

यथावत् सत्यापित

Assistant Engineer
Ty Division PWD
Gauchar (Chamoli)

13

शासनादेश संख्या-1903 /III(2)/15-05(प्रा0आ0)/2015 दिनांक 20 मार्च, 2015

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री / यमुनोत्री के वि0खण्ड डुण्डा / नौगांव में नाकुरी – सिरोंट–फलारचा–नन्दगांव–गंगनानी मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	25.00	225.50 (₹ 146.25 लाख + ₹ 79.25 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत ग्वाड [illegible] मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	42.06 ([illegible] ₹ 24.51 वाले कार्य)	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	42.51 (₹ 17.55 लाख + ₹ 24.96 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के के अन्तर्गत कैन्यूर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.00	15.36	0.10
	योग:-	34.00	325.43	0.40

(कुल ₹ एक चालीस हजार मात्र)

(एस0एस0 पांगती)
उप सचिव

प्रमाणित छायाप्रति
A.E.

छायाप्रति प्रमाणित

Assistant Engineer
Ty. Division P.W.D.
Gauchar (Chamoli)